BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियॉ (Functions and Powers of the President)

आपातकालीन शक्तियॉ (Emergency Powers)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन/संकटकालीन शक्तियॉ प्रदान की गई है। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352–360 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियॉ प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है :–

1. **युद्व, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट** – यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाय कि युद्व, बाहरी अथवा विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उसके राज्य–क्षेत्र का कोई भी भाग खतरे में है अथवा शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल(National Emergency) की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमण्डल के लिखित रूप में सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक माह तक लागू रह सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मॉग पर अनिवार्य रूप में बुलायी जायेगी। घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। आपातकाल को लागू रखने के लिए यह आवश्यक है कि 6 महीने में दोनों सदनों से आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रीय

आपातकाल के समय शासन का संघीय रूप एकात्मक हो जाता है। समस्त देश का शासन संघीय सरकार के हाथों में चला आता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि **"आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा।"**

अभी तक तीन बार क्रमशः 1962 (भारत पर चीन का आक्रमण), 1971 (भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण) एवं 1975 (आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर) में आपातकाल की घोषणा की गयी है।

2. **राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था** – जब राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, कि राज्य का शासन व्यवस्था संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 महीने तक तथा संसद की स्वीकृति मिलने पर 6 महीने तक लागू रह सकती है। संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह घोषणा साधारणतया 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। अगर चुनाव आयोग इस आशय का घोषणा कर दे कि राज्य में तत्काल विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है तो यह 1 वर्ष से अधिक भी लागू रह सकती है। राष्ट्रपति राज्य की सरकार के, उच्च न्यायालय को छोड़कर, अन्य किसी अधिकारी के कार्य को अपने अधीन ले सकता है।
3. **वित्तीय संकट के समय** – यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि भारत अथवा उसके किसी राज्य–क्षेत्र के किसी भाग पर वित्तीय स्थायित्व को खतरा या वित्तीय संकट है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना 2 महीने तक लागू रह सकता है। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केन्द्र और राज्यों के बीच धन संबंधी बटॅवारा में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कमी कर सकता है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति –

1. **निलम्बनकारी वीटो** – राष्ट्रपति किसी विधेयक(धन विधेयक को छोड़कर) को संसद में पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। संसद उसमें आवश्यक संशोधन कर अथवा बगैर संशोधन किए भी पुनः उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देना बाध्यता होगी। राष्ट्रपति की यह पुनर्विचार की शक्ति निलम्बनकारी वीटो है।
2. **पॉकेट वीटो** – इस वीटो में विधेयक पर ना तो राष्ट्रपति सहमति देता है, न ही अस्वीकार करता है और न ही वापस लौटता है। इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था।
3. **निरंकुश वीटो** – राष्ट्रपति को निरंकुश वीटो की शक्ति अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों के संदर्भ में प्राप्त है।
4. **आत्यंतिक वीटो** – इस वीटो में संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है लेकिन इसी बीच विधेयक लाने वाला मंत्रीमण्डल का विघटन हो जाता है और नया मंत्रीमण्डल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देने की सलाह नहीं देता है तब राष्ट्रपति अपने आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर विधेयक पर स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है। इससे विधेयक समाप्त हो जाता है तथा अधिनियम नहीं बन पाता है।